कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ-5 / 1251 / 2023 / 10-11 / 1/209 प्रति. भोपाल, दिनांक २०- १- 23

महाप्रबंधक,

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, आर.टी.ओ. ऑफिस के पास, सिविल लाईन, बालाघाट, मध्यप्रदेश।

विषय:— बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.690 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक / FP/MP/Road/156164/2022)

संदर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPR 026/2023-BHO/ दिनांक 05.09.2023

--0--

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 11 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः भारत सरकार के चाहे अनुसार जानकारी वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)

मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 1251 / 2023 / 10-11 / 42 **4**0 प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक २०-9-23

- 1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), बालाघाट वृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश।
- 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, दक्षिण बालाघाट मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपसे एवं आवेदक से संबंधित जानकारी प्राप्त कर एकजाई जानकारी इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वर्न संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल 1/52365/2023



भारत सरकार IGOVERNMENT OF INDIA पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL

काराय कायालय, मापाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL Bryavaran Bhavan Link Road No.3 F-5 Rayi Shankar Naga

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar, BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांकः ६-एमपीआर 026/2023-बीएचओ

प्रति.

दिनांक : /08/2023. 05/09/2023

प्रधान सचिव (वन) मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल, (मध्यप्रदेश) ।

विषयः बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अन्तर्गत सीतापाला टाटीकला से कोसमदेही तक मार्ग निर्माण हेतु 12.690 हेक्टेयर आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत (Online Proposal No. FP/MP/Road/156164/2022) ।

संदर्भः नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक एफ-5/1251/2023/10-11/2071 दिनांक 19/05/2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संवंधित अन्य वांछित जानकारियाँ/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अतः निम्नलिखित जानकारियाँ/ दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें:-

- 1. Alternative alignment of proposed diversion area is not submitted. However, the proposed road is overlay on existing pathway, it shall be clarified.
- 2. Full KML file of layout plan of forest area and non forest area (full project KML file) shall be uploaded.
- Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.
- 4. Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.
- 5. No objection certificates of concerned department (WRD, TL, OFC etc) shall be submitted.
- 6. CA scheme and KML file of CA of 82.00 ha of DFL area shall be uploaded.
- 7. The proposed road is part of Tadoba- Indravati Tiger Corridor. Regarding approval from competent authority shall be submitted.
- 8. As per Part-II, the legal Status of proposed forest land is Reserved Forest & as per SIR of South Balaghat Forest Division legal status of proposed land is RF & PF land. It shall be clarified.
- 9. Administrative approval/ Sanction letter of the project shall be submitted.
- 10. Since number of proposal are submitted for construction of various roads in Balaghat District, consolidated area of which exceeds 40 ha, the said sites shall be inspected by concerned CF/CCF as well and SIR be submitted.

1/52365/2023

 It appears that the alignment can be reworked at certain places for reducing the length of alignment. Accordingly alignment to be revisited by User Agency and concerned DFO.

उपरोक्त जानकारी प्रेषित किये जाने का अनुरोध है जिससे प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जा सके। भवदीय

(हरे राम कुमार)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपिः प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल ।

Signed by Hare Ram Kumar Date: 05-09-2023 10:36:05

Reason: Approved